2026:RJ-JP:18514

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2403/2017

1. हरीश चन्द उर्फ हरिनारायण पुत्र श्री गंगाराम, उम्र 53 वर्ष,
2. श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री हरीश चन्द्र उर्फ हरिनारायण, उम्र 49 वर्ष,
3. धर्मेश पुत्र श्री हरीश चन्द उर्फ हरिनारायण, उम्र 22 वर्ष,
4. कुमारी लक्ष्मी पुत्री हरीश चंद उर्फ हरिनारायण, उम्र 20 वर्ष,
5. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्व. श्री गंगाराम बैरवा, उम्र 71 वर्ष, समस्त निवासीयान—मकान नम्बर ए—101, झालाना डूंगरी, फेज—थर्ड, जयपुर।

----प्रार्थीगण / अपीलार्थी

बनाम

1. रामप्रसाद शर्मा पुत्र श्री किस्तुर चन्द शर्मा, निवासी—मकान नम्बर 79, कृष्णापुरी, गोपालपुरा बाईपास रोड, थाना मानसरोवर, जयपुर। कार्यालय पता—आयुक्त, मोटर गेरेज जयपुर नगर निगम, टोंक रोड, जयपुर। हाल चालक झालाना गैरेज, झालाना डूंगरी, नगर निगम, जयपुर।
(वाहन चालक डम्पर ट्रक नम्बर आर.जे—14—जी.बी—3266)
2. आयुक्त, मोटर गैरेज, टोंक रोड, लालकोठी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
(वाहन मालिक डम्पर ट्रक नम्बर आर.जे—14—जी.बी—3266)
3. महापौर, जयपुर नगर निगम, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर।
(वाहन मालिक डम्पर ट्रक नम्बर आर.जे—14—जी.बी—3266)
4. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जरिये उप—निदेशक, वित्त भवन, जयपुर।
(वाहन बीमा कम्पनी डम्पर ट्रक नम्बर आर.जे—14—जी.बी—3266)

----अप्रार्थीगण

<u>Connected With</u>

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2402/2017

1. मोहन लाल बैरवा पुत्र श्री गंगाराम बैरवा, उम्र 44 वर्ष,
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मोहन लाल बैरवा, उम्र 43 वर्ष,
3. अमर पुत्र श्री मोहन लाल बैरवा, उम्र 22 वर्ष (पूर्ण रूप से मंदबूद्धि विकलांग बालक जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री मोहन लाल बैरवा)
4. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्व. श्री गंगाराम बैरवा, उम्र 71 वर्ष,

समस्त निवासीयान—मकान नम्बर ए—101, झालाना डूंगरी, फेज—थर्ड, जयपुर।

----प्रार्थीगण / अपीलार्थी

बनाम

1. रामप्रसाद शर्मा पुत्र श्री किस्तुर चन्द शर्मा, निवासी—मकान नम्बर 79, कृष्णापुरी, गोपालपुरा बाईपास रोड, थाना मानसरोवर, जयपुर। कार्यालय पता—आयुक्त, मोटर गेरेज जयपुर नगर निगम, टोंक रोड, जयपुर। हाल चालक झालाना गैरेज, झालाना डूंगरी, नगर निगम, जयपुर।
(वाहन चालक डम्पर ट्रक नम्बर आर.जे—14—जी.बी—3266)
2. आयुक्त, मोटर गैरेज, टोंक रोड, लालकोठी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
(वाहन मालिक डम्पर ट्रक नम्बर आर.जे—14—जी.बी—3266)
3. महापौर, जयपुर नगर निगम, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर।
(वाहन मालिक डम्पर ट्रक नम्बर आर.जे—14—जी.बी—3266)
4. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जरिये उप—निदेशक, वित्त भवन, जयपुर।
(वाहन बीमा कम्पनी डम्पर ट्रक नम्बर आर.जे—14—जी.बी—3266)

----अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ram Singh Bhati, Adv. (for Respondent Nos. 2 & 3) Mr. Abhishek Paliwal, Adv. for Mr. Dheeraj Tripathi, Adv. (for SIPF) Mr. K.S. Rawat, Adv. for Ms. Naina Saraf, Adv. (for Jaipur Nagar Nigam)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

01/05/2026

1. अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या—2403/2017** एवं अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या—2402/2017**, दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा—173 मोटर वाहन अधिनियम—1988 के तहत

2026:RJ-JP:18514

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ठ न्यायालय, सा.दं.प्र.) जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–128/2014 (2541/2011), मोहन लाल व अन्य बनाम रामप्रसाद व अन्य** तथा **क्लेम याचिका संख्या–129/2014 (2542/2011), हरीश चन्द उर्फ हरिनारायण व अन्य बनाम रामप्रसाद व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 28.01.2017** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **पवन कुमार** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप तथा अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य** द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **दिनेश कुमार** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु पृथक–पृथक क्लेम याचिकाएं विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए याचीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** को **कुल 6,43,620/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि तथा याचीगण **मोहन लाल व अन्य** को **कुल 6,43,620/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** की ओर से **सिविल विविध अपील संख्या–2403/2017** एवं अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2402/2017,** विद्वान अधिकरण द्वारा पारित क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी।

3. **सिविल विविध अपील संख्या–2403/2017** व **सिविल विविध अपील संख्या–2402/2017** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतकगण पवन व दिनेश की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 3,510/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। जबकि मृतकगण की

2026:RJ-JP:18514

आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना मृतकगण भवन निर्माण के ठेकेदारी का कार्य कर प्रतिमाह दस से पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करते थे। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** की ओर से **सिविल विविध अपील संख्या–2403/2017** एवं अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2402/2017,** को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतकगण की निर्धारित मासिक आाय पर 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जिसे 40 प्रतिशत किया जावे। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय को संशोधित किया जावे व अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलें निरस्त की जावे।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है।

<u>सिविल विविध अपील संख्या–2403/2017 :–</u>

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 30.10.2011 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक **पवन कुमार** को भवन निर्माण के ठेकेदारी का कार्य कर प्रतिमाह दस से पन्द्रह हजार रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी 135/– रुपये प्रतिदिन के

2026:RJ-JP:18514

आधार पर उसकी आय की गणना 26 दिनों की मजदूरी के आधार पर करते हुए 3,510/— रुपये निर्धारित की गई है। जबकि मृतक की आय 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 135/— रुपये प्रतिदिन, तद्नुसार मासिक आय 135 x 30 = 4,050/— रुपये होती है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 19 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा दस्तावेज प्रदर्श—14 में अंकित आयु के आधार पर वक्त घटना मृतक की आयु 19 वर्ष निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना मृतक 19 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य—वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय पर 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की गयी है, जिसे संशोधित किया जाना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार 4,050/— रुपये का 40 प्रतिशत 1,620/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 5,670/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। 5,670/— रुपये का 1/2 भाग 2,835/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 2,835/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 19 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

RAJASTHAN HIGH COURT

9. तद्नुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 2,835/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 2,835 x 12 x 18 = 6,12,360/– रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या–1 व 2 प्रत्येक को 25,000/– रुपये (कुल 50,000/– रुपये) की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है तथा मृतक के भाई–बहिन को कंसोर्टियम की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

11. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

12. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2011 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या–1 व 2 तथा मृतक के भाई–बहिन अपीलार्थी

संख्या–3 व 4 को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 40,000/– रुपये (कुल 1,60,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। अपीलार्थी संख्या–5 मृतक की दादी है। दादा–दादी को कंसोर्टियम की मद में राशि दिलवाए जाने की कोई विधि वर्तमान में लागु नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी संख्या–5 को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि दिलवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 25,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो अधिक है। अतः अंतिम संस्कार की मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	6,12,360/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,60,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**8,02,360/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		6,43,620/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**1,58,740/–**

16. तदनुसार अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** द्वारा प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2403/2017,** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **6,43,620/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश

पारित किया गया है, के स्थान पर **8,02,360/— रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

<u>सिविल विविध अपील संख्या—2402/2017 :—</u>

17. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 30.10.2011 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक **दिनेश कुमार** को भवन निर्माण के ठेकेदारी का कार्य कर दस से पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी 135/— रुपये प्रतिदिन के आधार पर उसकी आय की गणना 26 दिनों की मजदूरी के आधार पर करते हुए 3,510/— रुपये निर्धारित की गई है। जबकि मृतक की आय 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 135/— रुपये प्रतिदिन, तद्नुसार मासिक आय 135 x 30 = 4,050/— रुपये होती है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 23 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श—4 में अंकित आयु के आधार पर वक्त घटना मृतक की आयु 19 वर्ष निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना मृतक 19 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य—वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय पर 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की गयी है, जिसे संशोधित किया

2026:RJ-JP:18514

जाना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार 4,050/– रुपये का 40 प्रतिशत 1,620/– रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 5,670/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

18. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। 5,670/– रुपये का 1/2 भाग 2,835/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 2,835/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 19 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

19. तद्नुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 2,835/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 2,835 x 12 x 18 = 6,12,360/– रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

20. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या–1 व 2 प्रत्येक को 25,000/– रुपये (कुल 50,000/– रुपये) की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है तथा मृतक के भाई व दादी को कंसोर्टियम की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

2026:RJ-JP:18514

21. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

22. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2011 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या–1 व 2 तथा मृतक के भाई अपीलार्थी संख्या–3 को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 40,000/– रुपये (कुल 1,20,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। अपीलार्थी संख्या–4 मृतक की दादी है। दादा–दादी को कंसोर्टियम की मद में राशि दिलवाए जाने की कोई विधि वर्तमान में लागु नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी संख्या–4 को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि दिलवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

23. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 25,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो अधिक है। अतः अंतिम संस्कार की मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

24. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

25. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स **मोहन लाल व अन्य** निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	6,12,360/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,20,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**7,62,360/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		6,43,620/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**1,18,740/–**

26. तदनुसार अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य** द्वारा प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2402/2017,** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **6,43,620/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **7,62,360/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य** द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य** प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

27. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण **हरीशचंद उर्फ हरिनारायण व अन्य** तथा अपीलार्थीगण **मोहन लाल व अन्य**, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

28. तदनुसार उपरोक्त अपीलें निस्तारित की जाती है।

29. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /10-11